

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2058
जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया गया

विद्युत की उच्चतम मांग

2058. श्री नलीन कुमार कटौल:

श्री सुनील बाबूराव मेंडे:

श्री भोलानाथ 'बी पी. सरोज':

श्रीमती हिमाद्री सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश ने इस वर्ष विद्युत की उच्चतम मांग को पूरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) सरकार द्वारा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 2014-15 से 2023-24 के बीच क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2013 में कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी रही?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, हां। व्यस्ततम मांग वर्ष 2013-14 में 135918 मेगावाट से बढ़कर सितंबर, 2023 में 243271 मेगावाट हो गई है। यह पिछले नौ (09) वर्षों में लगभग 79% की वृद्धि है। मांग में यह वृद्धि दो कारकों के कारण है: (1) भारत हाल के वर्षों में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है और (2) 2.86 करोड़ घरों को नए विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। मांग को पूरा करने के लिए, हमने पिछले नौ (09) वर्षों में 193794 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी है, जिससे हमारा देश विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है।

अनेक ठोस उपायों के कारण उत्पादन क्षमता मार्च, 2014 में 248554 मेगावाट से 70% तक बढ़कर अक्टूबर, 2023 में 425536 मेगावाट हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, व्यस्ततम मांग और व्यस्ततम मांग पूर्ति के बीच अंतर वर्ष 2013-14 में 4.5% से घटकर वर्ष 2023-24 (नवंबर, 2023 तक) में 1.4% हो गया है और ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के बीच अंतर वर्ष 2013-14 में 4.2% से घटकर वर्ष 2023-24 (नवंबर, 2023 तक) में 0.3% हो गया है।

पिछले वर्ष अर्थात 2022-23 और चालू वर्ष अर्थात 2023-24 (नवंबर, 2023 तक) के दौरान देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) : हमने देश में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वर्ष 2014-15 से 2023-24 के बीच निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) संस्थापित क्षमता जो मार्च, 2014 में 248554 मेगावाट थी, वह बढ़कर अक्टूबर, 2023 में 425536 मेगावाट हो गई है। कोयले की संस्थापित क्षमता मार्च, 2014 में 139663 मेगावाट से बढ़कर अक्टूबर, 2023 में 206825 मेगावाट हो गई है। नवीकरणीय क्षेत्र की संस्थापित क्षमता मार्च, 2014 में 75519 मेगावाट से बढ़कर अक्टूबर, 2023 में 178983 मेगावाट हो गई है।
- (ii) देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,16,540 मेगावाट अंतरण क्षमता सहित 1,87,849 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें, 6,82,767 एमवीए रूपांतरण क्षमता और 80,590 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता को पूरे देश को वन फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एक ग्रिड में जोड़ने की क्षमता के साथ जोड़ा गया है। भारत का ग्रिड विश्व के सबसे बड़े एकीकृत ग्रिडों में से एक बनकर उभरा है। पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ने से देश एक एकीकृत विद्युत बाजार में परिवर्तित हो गया है। वितरण कंपनियां देश के किसी भी कोने में किसी भी उत्पादक से सबसे सस्ती उपलब्ध दरों पर विद्युत खरीद सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरें सस्ती हो सकेंगी।
- (iii) भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 500000 मेगावाट से अधिक करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2030 तक 500000 मेगावाट आरई क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण योजना को आरई क्षमता वृद्धि के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 179000 मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता पहले से ही एकीकृत है।
- (iv) सरकार ने हरित ऊर्जा कॉरीडोरों का निर्माण किया है और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए हैं। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 178000 मेगावाट है और 99000 मेगावाट संस्थापना के अधीन है।
- (v) हमने विद्युत क्षेत्र को व्यवहार्य बनाने का प्रयास किया है। एटीएंडसी हानियां वर्ष 2013-14 में 22.62% से घटकर वर्ष 2022-23 में 15.41% हो गया है। जेनकोज के सभी मौजूदा भुगतान अद्यतित हैं और जेनकोज की पिछली देय राशियां 1.35 लाख करोड़ रुपये से घटकर 6000 करोड़ रुपये हो गई हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी के कारण डिस्कोमों को किए गए सब्सिडी भुगतान अद्यतित हैं।
- (vi) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पिछले नौ (09) वर्षों के दौरान उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) कार्यान्वित की है। भारत सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्र के सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना- (सौभाग्य) भी कार्यान्वित की है।

इन स्कीमों के अंतर्गत, 18374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया और 2.86 करोड़ घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए। इसके परिणामस्वरूप, शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। इसके साथ-साथ, 2927 नए सबस्टेशन जोड़े गए हैं, 3965 मौजूदा सब-स्टेशनों का उन्नयन किया गया है और 8.86 लाख सर्किट किलोमीटर की एचटी और एलटी लाइनें जोड़ी/बदली गई हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता वर्ष 2015 में 12 घंटे से बढ़कर वर्ष 2023 में 20.6 घंटे हो गई है। शहरी क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता 23.6 घंटे है।

हमने नीतिगत उपाय किये हैं जिससे विद्युत क्षेत्र जीवंत और व्यवहार्य बन गया है। इनमें से कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं:

- (vii) सौर, पवन, पम्पड भंडारण संयंत्रों और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से उत्पादित विद्युत के पारेषण पर आईएसटीएस प्रभारों की छूट।
- (viii) वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण दायित्व ट्रेजेक्ट्री।
- (ix) वर्ष 2019 में, सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपायों की घोषणा की, जैसे बृहत् जल विद्युत परियोजनाओं (>25 मेगावाट) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना, जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के उपाय, बाढ़ नियंत्रण/भंडारण करने वाली जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता, सक्षमकारी अवसंरचना अर्थात् सड़क/पुल आदि की लागत के लिए बजटीय सहायता।
- (x) पावर एक्सचेंजों में रियल टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम), हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपी-डैम) की शुरुआत। साथ ही, डिस्कॉमों द्वारा अल्पावधिक विद्युत की खरीद के लिए ई-बोली और ई-रिवर्स के लिए दीप पोर्टल (डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस) की शुरुआत की गई थी।
- (xi) बड़े पैमाने पर आरई परियोजनाओं की संस्थापना के लिए आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना।
- (xii) ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले के पारदर्शी आवंटन के लिए शक्ति नीति प्रस्तुत की गई थी, जिसने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए घरेलू कोयले के प्रभावी आवंटन को सक्षम बनाया और विभिन्न संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं का पुनरुद्धार भी सुनिश्चित किया।
- (xiii) उत्पादन क्षमता से पहले अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का निर्माण।

(घ) : दिनांक 31.03.2013 तक की स्थिति के अनुसार देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 223 गीगावाट थी।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2058 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले वर्ष अर्थात् 2022-23 और चालू वर्ष अर्थात् 2023-24 (नवंबर, 2023 तक) के दौरान देश की विद्युत आपूर्ति स्थिति के ब्यौरे:

वर्ष	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम पूर्ति	पूरी नहीं की गई मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
2022-2023	15,11,847	15,04,264	7,583	0.5	2,15,888	2,07,231	8,657	4.0
2023-2024 (नवंबर, 2023 तक*)	11,02,887	10,99,907	2,980	0.3	2,43,271	2,39,931	3,340	1.4

*अनंतिम
